आप अपना खाता खोजने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनायें।

- 1) बिहार के मानचित्र में से अपने जिले को चुने।जिला चयन के बाद उस जिले के सभी अंचल दिखने लगेंगे।
- 2) उस जिले के अंचलों में से अपने **अंचल** को चुने। इसके चयन करने से स्क्रीन के बायें तरफ उस अंचल में वर्तमान सभी मौजा दिखने लगेगें।
- 3) अपने मौजे का चयन 2 विधियों से किया जा सकता है।
 - 3.1) उन मौजों में से अपने मौजे को चुने।
 - 3.2) यदि आप मौजा को तुरंत देखना चाहते हैं तो दिये गये किबोर्ड से प्रथम अक्षर चुनें।
- 4) खोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुने।
 - 4.1) मौजा के समस्त खातों को देखें।
 - 4.2) खाता संख्या से देखें।
 - 4.3) खाताधारी के नाम से देखें।
- 5) **खाता खोजें** पर क्लिक करें।
- 6) प्राप्त आँकड़ो में से जिस खाता के बारे मे जानना हो उसके सामने 'अधिकार अभिलेख देखें' को क्लिक करें।
- 7) अधिकार अभिलेख का अवलोकन कर प्रिंट लें।

उदाहरण के लिये। यदि हमें उस खाता के संबंध में जानना है जो बक्सर जिले के ब्रह्मपुर अंचल में उपलब्ध है। इसके लिये हमें निम्न प्रकिया को अपनाना होगा।

1) बिहार के मानचित्र में से बक्सर जिले को माउस से क्लिक करें।




2) बक्सर जिले के मानचित्र में से ब्रह्मपुर अंचल को माउस से क्लिक करें।




3.1) उन मौजों मे से अपने मौजे को चुने ।




3.2) यदि आप मौजा को तुरंत देखना चाहते हैं तो दिये गये किबोर्ड से प्रथम अक्षर चुनें ।




4) खोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुने।




4.1) मौजा के समस्त खातों को देखें।



4.2) खाता संख्या से देखें।




4.3) खाताधारी के नाम से देखें।




5) अपना खाता खोजें पर क्लिक करें।



6) प्राप्त आँकडो में से जिस खाता के बारे मे जानना हो उसके सामने 'अधिकार अभिलेख देखें' को क्लिक करें।



7) अधिकार अभिलेख का अवलोकन कर प्रिंट लें।



चालू खतियान को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टॅकण या अन्य अबुहियाँ हो सकती हैं, इसलिए वर्तशान में इसकी कानूनी मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर शृति स्वामित्व संबंधी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपति (यदि हो तो) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी हारा नियमानुसार यथीचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एन.आई.सी., बिहार के तकनीकी सहयोग द्वारा विकसित